

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (II) DATED THE 10th Sept., 1999

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, dated the 10th Sept., 1999

NOTIFICATION

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee hereby amends the notification of Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 193(E) dated 14th March, 1996, as follows, namely:-

In the said notification, in the table against serial number 8 relating to Nootan Bharati, in column (3) relating to name of the project or scheme and estimated cost thereof, the following shall be added at the end, namely:-

"(7) Preparation of Website, preparation of Floppy Disk and Publication of books."


(POMELA B. PRASAD)
Director(NC)

No. 11066

F.No. NC-91/99

भारत के राजपत्र असाधारण भाग- II खण्ड 3, उपखण्ड (II) में
दिनांक 10. ~~मार्च~~ ^{अप्रैल}, 1999 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10. ~~मार्च~~ ^{अप्रैल}, 1999

अधिसूचना

सां० आ०..... (अ०) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 14 मार्च, 1996 के सां० आ० 193 (अ०) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना की सारणी में नूतन भारती से संबंधित क्रम सं० 8 पर की परियोजना अथवा स्कीम के नाम तथा उनकी अनुमानित लागत से संबंधित स्तम्भ (3) में अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा। नामतः- " 7 वेबसाईट का निर्माण, फ्लापी डिस्क का निर्माण तथा पुस्तकों का प्रकाशन । "

सं० 11066
फा० सं० एन०सी०-91/99

4 42515
(पोमिला बी० प्रसाद)
निदेशक (रा०स०)